भारत सरकार–कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA - MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar of Companies, Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana

4th Floor , IFCI Tower , 61 , Nehru Place , New Delhi - 110019, Delhi, INDIA

धारा 25 लाइसेंस संख्या : 103683

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेंस

यह कि मुझे संतुष्टि है कि CONFEDERATION OF INDIAN FOOTWEAR INDUSTRIES

, एक संस्था, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (1) खण्ड (क) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रकृति के उद्देश्यों को बढाने और अपने लाभ यदि कोई हो या अन्य आय अपने उद्देश्यों को बढाने के लिए ही लगाएगी, सदस्यों को लाभांश देने के लिये नहीं । इसलिए कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 368(इ), दिनांक 09 मई, 2011 द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रत्यायोजित की गई है, का प्रयोग करते हुए मैं,

ATMA SAH , सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

, एतदद्वारा यह लाइसेंस प्रदान करता हूँ और यह निर्देश देता हूँ कि यह संस्था लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द के बगैर सीमित दायित्व के लिये निम्नलिखित शर्तों के अनुरुप कम्पनी के रुप में रजिस्टर की जाएगी :-

1 कि कम्पनी हर प्रकार से संगम ज्ञापन में विनिर्दिष्ट प्रावधानों और शर्तों के अनुरुप होगी और संचालित की जाएगी ।

2 कि जब भी कम्पनी की आय और सम्पत्ति में वृद्धि होती है तो वह समस्त संगम ज्ञापन में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये काम करने में लगाएगी तथा उस पर यह प्रतिषेध है कि वह उसका कोई भी अंश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में लाभांश, बोनस या लाभ के रुप से किसी भी व्यक्ति को जो इस कम्पनी के सदस्य हों, या कभी रह चुके हों या किसी अन्य के द्वारा दावा कर रहे हों, को न ही देगी न ही स्थानान्तरित करेंगी ।

3 कि कम्पनी लिये गये धन के लिये उचित व्याज की अदायगी या कम्पनी परिसर के लिये किराए या जेब खर्च की अदायगी के अतिरिक्त अपने किसी भी सदस्य को चाहे वे कम्पनी के अधिकारी हो, कर्मचारी हों अथवा नहीं, को कोई पारिश्रमिक या अन्य लाभ धन या अन्य किसी रुप में नहीं देगी ।

4 कि खण्ड (3) के अतिरिक्त कम्पनी के अधीन किसी भी पद पर किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी जिन्हें वेतन, फीस या अन्य किसी रुप में पारिश्रमिक देना पडे ।

5 कि इस खण्ड में कम्पनी द्वारा किसी भी अधिकारी या कर्मचारी (सदस्य के अतिरिक्त) या किसी अन्य व्यक्ति (सदस्य के अतिरिक्त) के द्वारा कम्पनी के लिये की गयी किसी की सेवा के बदले में उचित पारिश्रमिक प्रदान करने के लिये प्रतिषेध नहीं है ।

6 खण्ड (3)(4)(5) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसके किसी भी सदस्य को उसके द्वारा वास्तव में की गई किसी भी प्रकार की सेवा (सदस्य के लिये निर्धारित प्रकृति की सेवा के अतिरिक्त)के बदले में उचित पारिश्रमिक देने के लिये प्रतिषेध नहीं है ।

7 कम्पनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

8 यदि कम्पनी ने संगम ज्ञापन में विनिर्दिष्ट शर्तों या उपरोक्त लिखित शर्तों का उल्लंघन किया तो यह लाइसेंस और कम्पनी का रजिस्ट्रेशन रदद् हो जाएगा और प्रभावी नहीं रहेगा और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के उपबन्धों के अनुसार वापिस ले लिया जाएगा ।

दिनांक बीस दिसम्बर दो हजार तेरह

Section 25 Licence Number : 103683

.

Licence under section 25 of the Companies Act, 1956

Whereas it has been proved to my satisfaction that the CONFEDERATION OF INDIAN FOOTWEAR INDUSTRIES ,an association is to be registered as a company under the Companies Act, 1956 for promoting objects of the nature specified in section 25, sub-section (1), clause (a) of the said Act, and that it intends to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and to prohibit the payment of any dividends to its members.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 25 of the said Act, read with the notification of the Government of India, in the Ministry of Corporate Affairs No. G.S.R. 368(E), dated 9th May, 2011 whereby the power has been delegated to Registrar of Companies, I, ATMA SAH,the Assistant Registrar of Companies at National Capital Territory of Delhi and Haryana , hereby grant this licence, directing that the said association be registered as a company with limited liability without the addition of the word "Limited" or the words "Private Limited" to its name, subject to the following conditions, namely: -

(1) that the said company shall in all respect be subject to and governed by the conditions and the provisions contained in its Memorandum of Association;

(2) that the income and property of the said company whensover derived, shall be applied solely for the promotion of the objects as set forth in its Memorandum of Association and that no portion thereof shall be paid or transferred, directly or indirectly by way of dividend, bonus, or otherwise by way of profit, to persons who at any time are or have been members of the said company or to any of them or to any person claiming through any one or more of them;

(3) that no remuneration or other benefit in money or money's worth shall be given by the company to any of its members, whether officers or servants of the company or not, except payment of out-of pocket expenses, reasonable and proper interest on money lent, or reasonable and proper rent on premises let to the company;

(4) that no member shall be appointed to any office under the company which is remunerated by the salary, fees, or in any other manner, not excepted by clause (3);

(5) that nothing in this clause shall prevent the payment by the company in good faith of reasonable and proper remuneration to any of its officers or servants (not being members) or to any other person (not being a member), in return for any services actually rendered to the company;

(6) that nothing in clauses (3), (4) and (5) shall prevent the payment by the company in good faith with the previous approval of Central Government, of reasonable and proper remuneration to any of its members in return for any services (not being services of a kind which are required to be rendered by a member), actually rendered to the company;

(7) that no alteration shall be made to the Memorandum of Association or to the articles of Association of the company, which are for the time being in force unless the alteration have been submitted to and approved by the Central Government; and

(8) that the license and registration of the said company pursuant hereto shall cease to have any force or effect on violation of any of the aforesaid condition or any of the conditions and provisions contained in its Memorandum of Association and thereupon this license shall be revoked in accordance with the provisions of the said section 25 of the Companies Act, 1956.

Dated this Twentieth day of December Two Thousand Thirteen.

ATMA SAH

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार / Assistant Registrar of Companies

कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana